वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन के विषय में **Penalty** की प्रस्तावित गणना

इण्डियन ऑयल कार्पो0 लिमिटेड द्वारा सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ के अन्तर्गत अलीगढ़–मथुरा मार्ग (एस0एच0–80) किमी0 05 दांयी पटरी पर ग्राम दौलताबाद के खसरा सं0 30 में प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण में प्रभावित होने वाली 0.07595 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु प्रेषित प्रस्ताव के अन्तर्गत प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भारत सरकार की पूर्वानुमति के कार्य पूर्ण कराकर, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन किया है। उल्लंघन के सम्बन्ध में भारत सरकार, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक F.No. 11-42/2017-FC दिनांक 21.01.2018 द्वारा द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार निम्न प्रकार Penalty का प्राविधान किया गया है।

B. In cases where the proposal under FC Act is under consideration and forest land is diverted before grant of FC:

i- The penalty for violation shall be equal to NPV of forest land per hectare for each year of violation from the date of actual diversion as reported by the inspecting officer with maximum upto five (5) times the NPV plus 12 percent simple interest till the deposits is made.

ii- In case of public utility projects of the government, penalty shall be 20% of the penalty proposed in para (i) above.

1. प्रस्ताव के अन्तर्गत प्रस्तावित एन0पी0वी0– प्रभावित वन भूमि (0.07595) X 9,57,780 =	72,743.00
2. प्रस्ताव के प्रकिया में होने के अन्तर्गत उल्लंघन किये जाने के कारण – 5 x 72,743 = (वर्ष 2013 से उल्लंघन हेतु– अधिकतम 5 गुना)	3,63,715.00
3. 12 प्रतिशत Simple Interest= 3,63,715 x 12% =	43,646.00
4. पांच वर्ष की एन0पी0वी0 पर एक वर्ष का ब्याज (43646 / 5) =	8729.00
5. नौ वर्ष की एन0पी0वी0 का ब्याज (8729 x 9) =	78,561.00
6. पांच वर्ष की एन0पी0वी0+नौ वर्ष की एन0पी0वी0 का ब्याज = (363715 + 78561)	4,42,276.00
7. Public Utility Project होने के कारण, कुल आगणित दण्डात्मक एन0पी0वी0 का 20 प्रतिशत =	**88,455.00**

(अठ्ठासी हजार चार सौ पचपन मात्र)

(दिवाकर कुमार वशिष्ठ)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
अलीगढ़।